संख्या– /xxxii(1)–2016 /01(तीन)–298(वि0अनु0)/2015

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उप सचिव (लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 28 नवम्बर, 2016

विषयः– **सचिवालय परिसर, देहरादून स्थित एन0आई0सी मुख्य भवन से राजपुर रोड़ स्थित पैनल तक केबिल लेईंग के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, स्तर–I, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, 162 नेहरु कालोनी (धर्मपुर) देहरादून के पत्रांकः–1790/11(3)याता0–स्तर–I (क्षे0का0)/2015, दिनांक 20 अगस्त, 2016 के माध्यम से उपलब्ध कराये आगणन के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **सचिवालय परिसर, देहरादून स्थित एन0आई0सी0 मुख्य भवन से राजपुर रोड़ स्थित पैनल तक केबिल लेईंग के कार्य** हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में लोक निर्माण विभाग की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त संस्तुत ₹ 13.31 लाख (₹ तेरह लाख इक्कतीस हजार मात्र) की धनराशि में से Contingency हेतु प्राविधानित ₹ 0.51 लाख (₹ इक्यावन हजार मात्र) को कम करते हुए शेष धनराशि **₹ 12.80 लाख (₹ बारह लाख अस्सी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या–568/XXXII (1)/01(एक)–01/2016–17 (लेखानुदान), दिनांक 07.04.2016 एवं अलॉटमेंट आई0 डी0–H1604070005, दिनांक 05.04.2016 तथा शासनादेश संख्या–1160/XXXII(1)/01(एक)–01/2016–17 (मुख्य बजट), दिनांक 05.08.2016 एवं अलॉटमेंट आई0डी0–H1608070352, दिनांक 05.08.2016 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से प्रथम किस्त स्वरूप **धनराशि ₹ 5.80 लाख (₹ पांच लाख अस्सी हजार मात्र)** को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यॉत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून को व्यय किये जाने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा प्रस्तर–1 में स्वीकृत **धनराशि ₹ 5.80 लाख (₹ पांच लाख अस्सी हजार मात्र)** का निम्न शर्तो के अधीन नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

(1) वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रश्नगत कार्य तत्काल प्रारम्भ करा लिया जायेगा।
(2) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(3) आगणन में प्राविधान/दर/मात्रा/धनराशि तथा विवरण आदि किसी भी प्रकार के अन्तर/पुनरावृत्ति के लिए विभागीय टी0ए0सी0 तथा विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होगे।

(4) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरुप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(7) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगें।

(8) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रुप से प्राप्त कर ली जाये।

(9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–2047/XXXIV–219(2006), दि0 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008** में प्राविधानित नियमों एवं दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा स्थापित किये जाने वाले उपकरणों की वास्तविक लागत एवं जीवन अवधि सहित सूचना/विवरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुमानित लागत एवं वास्तविक लागत के अन्तर स्वरूप जो धनराशि बचती है, उसे राजकोष में जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त पूर्व से स्थापित मशीन/उपकरण के समयान्तर्गत निष्प्रयोज्य/नीलामी की कार्यवाही करते हुए प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराते हुए चालान रसीद अनिवार्य रूप से राज्य सम्पत्ति विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) **कार्यदायी संस्था द्वारा राज्य सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, देहरादून एवं व्यवस्थाधिकारी, सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदत्त संतोषजनक/संतुष्टिपरक/गुणवत्ता पूर्वक कार्य किये जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही द्वितीय किस्त निर्गत की जायेगी।**

(13) प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य समय से पूर्ण एवं गुणवत्ता हेतु समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) यदि कार्यो हेतु धनराशि की पुनरावृत्ति की गई होगी तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) आवासीय/अनावासीय भवनों में अनुरक्षण/मरम्मत/निर्माण कार्यो हेतु एक रजिस्टर बनाया जाय जिसमें किये गये कार्यो को अंकित किया जाय।

(16) उक्त कार्य हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(17) आयकर की कटौती संबंधित अनुरक्षण इकाई द्वारा अपने स्तर से करायी जायेगी।

(18) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे तथा आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा एवं कार्य समय से पूर्ण करा लिया जायेगा।

3— उप सचिव (लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा **₹ 5.80 लाख (₹ पांच लाख अस्सी हजार मात्र)** को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यॉत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा—देहरादून के खाता संख्या—32844212883, आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या—SBIN0000630, में नियमानुसार जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। टिन न0—05012726231 तथा पैन/टैन न0—MITE 00888G है।

4— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 के आयोजनेत्तर योजना के अर्न्तगत अनुदान संख्या—7 के **लेखाशीर्षक—2052 सचिवालय—सामान्य सेवायें—091 संलग्न कार्यालय—03 राज्य सम्पत्ति विभाग—मानक मद—29—अनुरक्षण** मद के नामे डाला जाएगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या—162NP/XXVII(5)16-17, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 में प्राप्त निर्देशों के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्या—१२५१/xxxii(1)—2016/01(तीन)—298(वि0अनु0)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला।
4— प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
5— मुख्य अभियन्ता, स्तर—I, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर—1, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, 162 नेहरु कालोनी (धर्मपुर) देहरादून।
6— अधीक्षण अभियन्ता, 11 वॉ वि0/यां0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
7— अधिशासी अभियन्ता, वि0/यां0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
8— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— व्यवस्थाधिकारी, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10— वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
11— सचिवालय प्रशासन लेखा अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन।
12— गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।